भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3240
08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

†3240. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटित और उनके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) को कार्यान्वित करने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की राज्य-वार और पंजाब में जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) देश में इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने लाभर्थियों तथा उच्च जोखिम वाले गर्भधारण (एचआरपी) की पहचान की गई है;

(घ) अब तक राज्य-वार कितने निजी चिकित्सकों ने स्वेच्छा से इस योजना के लिए आवेदन किया है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत चिकित्सक रोगी अनुपात का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के अंतर्गत निधियों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): देश भर में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पीएमएसएमए को लागू करने वाले जन स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या का विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है और पंजाब में ज़िला-वार विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ग): देश में इस योजना के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों और उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था (एचआरपी) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक IV** में दिया गया है।

(घ): अब तक इस योजना के लिए स्वेच्छा से पंजीकृत निजी चिकित्सकों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण **अनुलग्नक-V** में दिया गया है।

(ङ): इस योजना के अंतर्गत रोगी-चिकित्सक अनुपात का विवरण वर्तमान डेटा प्रणालियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है।

दिनांक **08.08.2025** को नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3240** के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के तहत प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के व्यय का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (लाख रूपये में)						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.11	0.38	1.13	1.02	4.20
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	26.00	0
3	अरुणाचल प्रदेश	11.78	10.70	99.23	0	58.06
4	असम	28.89	32.40	51.34	91.43	129.16
5	बिहार	263.06	419.00	597.09	570.8	835.92
6	चंडीगढ़	1.55	1.65	0.82	3.68	5.78
7	छत्तीसगढ़	1.63	1.51	395.4	439.3	550.14
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.30	0	0	0	10.85
9	दिल्ली	1.02	0.41	4.78	9.95	150.24
10	गोवा	0.09	0.10	0.61	0.10	0.52
11	गुजरात	39.45	28.04	445.52	1,497.15	938.09
12	हरियाणा	24.49	30.44	23.03	62.71	104.76
13	हिमाचल प्रदेश	0	23.46	32.62	36.10	54.82
14	जम्मू और कश्मीर	1.69	0.83	1.94	1.07	11.01
15	झारखंड	93.85	85.10	559.31	1,941.47	725.66
16	कर्नाटक	14.61	18.08	11.82	200.19	673.31
17	केरल	2.43	0.95	19.54	40.67	119.38
18	लद्दाख	1.46	0.92	1.30	2.04	9.34
19	लक्षद्वीप	0.18	0.22	0.05	0.06	0
20	मध्य प्रदेश	0.61	23.12	551.12	438.78	712.64
21	महाराष्ट्र	11.65	11.24	7.35	184.42	273.29
22	मणिपुर	10.42	5.29	14.80	10.92	20.83
23	मेघालय	5.70	3.56	38.94	15.27	23.45
24	मिजोरम	7.05	4.60	5.95	6.25	1.80
25	नागालैंड	0	1.12	5.92	4.52	7.91
26	ओडिशा	14.58	12.95	202.96	576.25	523.82
27	पुदुचेरी	0	0	0	0.14	1.41
28	पंजाब	3.86	1.82	38.43	999.40	337.93
29	राजस्थान	21.30	54.25	75.47	139.24	771.39
30	सिक्किम	0	0.48	1.62	1.48	6.08
31	तमिलनाडु	1.13	0.68	0	0	34.27
32	तेलंगाना	1.79	1.03	2.52	2.07	1.16
33	त्रिपुरा	2.97	11.80	29.17	45.77	78.67
34	उत्तर प्रदेश	44.66	34.21	721.25	708.97	882.92
35	उत्तराखंड	2.79	3.20	39.40	32.03	24.75
36	पश्चिम बंगाल	20.29	112.21	220.66	222.69	622.46

नोट:-
1. उपरोक्त आंकड़े राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध एफएमआर के अनुसार हैं और अनंतिम हैं।
2. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य निर्गत और वर्ष की शुरुआत में अप्रयुक्त शेष राशि के तहत व्यय शामिल है।

दिनांक 08.08.2025 को नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3240 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-II

भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पीएमएसएमए लागू करने वाली जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की संख्या		
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की संख्या
	भारत	**22349**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34
2	आंध्र प्रदेश	1930
3	अरुणाचल प्रदेश	52
4	असम	528
5	बिहार	699
6	चंडीगढ़	29
7	छत्तीसगढ़	798
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	19
9	दिल्ली	491
10	गोवा	30
11	गुजरात	1147
12	हरियाणा	616
13	हिमाचल प्रदेश	717
14	जम्मू और कश्मीर	137
15	झारखंड	287
16	कर्नाटक	2577
17	केरल	36
18	लद्दाख	15
19	लक्षद्वीप	10
20	मध्य प्रदेश	732
21	महाराष्ट्र	1575
22	मणिपुर	135
23	मेघालय	185
24	मिजोरम	82
25	नागालैंड	58
26	ओडिशा	551
27	पुदुचेरी	24
28	पंजाब	351
29	राजस्थान	3359
30	सिक्किम	5
31	तमिलनाडु	885
32	तेलंगाना	1047
33	त्रिपुरा	155
34	उत्तर प्रदेश	2107
35	उत्तराखंड	100
36	पश्चिम बंगाल	846
स्रोत: पीएमएसएमए पोर्टल (31 जुलाई, 2025 तक की स्थिति के अनुसार)		

दिनांक **08.08.2025** को नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3240** के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-**III**

पंजाब राज्य में पीएमएसएमए को लागू करने वाले जन स्वास्थ्य केंद्रों की जिलावार संख्या		
क्र.सं.	जिलों के नाम	जन स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों की संख्या
	कुल	**351**
1	अमृतसर	42
2	बरनाला	10
3	बठिंडा	38
4	फरीदकोट	9
5	फतेहगढ़ साहिब	8
6	फाजिल्का	22
7	फिरोजपुर	16
8	गुरदासपुर	13
9	होशियारपुर	24
10	जालंधर	27
11	कपूरथला	26
12	लुधियाना	23
13	मलेरकोटला	3
14	मानसा	3
15	मोगा	7
16	पठानकोट	1
17	पटियाला	13
18	रूपनगर	9
19	साहिबजादा अजीत सिंह नगर	10
20	संगरूर	12
21	श्री मुक्तसर साहिब	8
22	शहीद भगत सिंह नगर (नवांशहर)	14
23	तरनतारन	13
स्रोत: पीएमएसएमए पोर्टल (31 जुलाई, 2025 तक की स्थिति के अनुसार)		

दिनांक 08.08.2025 को नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3240 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-IV

भारत और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या और पीएमएसएमए तथा ई-पीएमएसएमए के अंतर्गत चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की संख्या			
क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	गर्भवती महिलाओं की संख्या जिन्हें प्रसवपूर्व परिचर्या (एएनसी) प्राप्त हुई	चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था
	भारत	**6,38,79,654**	**91,89,312**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	25,636	3,743
2	आंध्र प्रदेश	52,89,447	11,25,152
3	अरुणाचल प्रदेश	32,205	1,744
4	असम	6,55,048	66,288
5	बिहार	65,82,271	2,23,166
6	चंडीगढ़	77,910	19,049
7	छत्तीसगढ़	20,84,523	2,38,174
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1,09,945	10,830
9	दिल्ली	6,22,186	87,401
10	गोवा	80,935	8,056
11	गुजरात	31,60,550	4,18,757
12	हरियाणा	24,41,875	4,25,797
13	हिमाचल प्रदेश	4,93,732	60,155
14	जम्मू और कश्मीर	4,72,380	46,601
15	झारखंड	15,28,312	50,423
16	कर्नाटक	30,11,237	10,07,577
17	केरल	48,361	6,362
18	लद्दाख	15,815	1,609
19	लक्षद्वीप	7,344	2,748
20	मध्य प्रदेश	50,15,545	6,19,698
21	महाराष्ट्र	37,23,895	3,86,474
22	मणिपुर	87,726	6,114
23	मेघालय	2,69,695	62,899
24	मिजोरम	70,945	4,406
25	नागालैंड	21,332	1,878
26	ओडिशा	20,63,932	3,13,883
27	पुदुचेरी	31,851	5,968
28	पंजाब	11,17,090	2,28,873
29	राजस्थान	43,36,048	2,20,531
30	सिक्किम	10,700	1,189
31	तमिलनाडु	30,39,450	10,20,215
32	तेलंगाना	19,56,796	3,53,121
33	त्रिपुरा	1,34,436	13,361
34	उत्तर प्रदेश	1,33,99,332	14,86,771
35	उत्तराखंड	1,78,675	11,780
36	पश्चिम बंगाल	16,82,494	6,48,519
स्रोत: पीएमएसएमए पोर्टल 2016 से जुलाई 2025 तक			

दिनांक **08.08.2025** को नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3240** के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

अनुलग्नक-**V**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निजी चिकित्सकों की संख्या जिन्होंने पीएमएसएमए योजना के प्रारंभ से अब तक स्वेच्छा से भाग लिया है		
क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत स्वयंसेवक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20
2	आंध्र प्रदेश	308
3	अरुणाचल प्रदेश	3
4	असम	145
5	बिहार	469
6	चंडीगढ़	6
7	छत्तीसगढ़	340
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	8
9	दिल्ली	255
10	गोवा	10
11	गुजरात	500
12	हरियाणा	419
13	हिमाचल प्रदेश	35
14	जम्मू और कश्मीर	47
15	झारखंड	153
16	कर्नाटक	623
17	केरल	91
18	लद्दाख	0
19	लक्षद्वीप	0
20	मध्य प्रदेश	933
21	महाराष्ट्र	1143
22	मणिपुर	29
23	मेघालय	18
24	मिजोरम	10
25	नागालैंड	5
26	ओडिशा	228
27	पुदुचेरी	13
28	पंजाब	161
29	राजस्थान	1022
30	सिक्किम	14
31	तमिलनाडु	224
32	तेलंगाना	165
33	त्रिपुरा	19
34	उत्तर प्रदेश	1097
35	उत्तराखंड	53
36	पश्चिम बंगाल	189
स्रोत: पीएमएसएमए पोर्टल (31 जुलाई, 2025 तक की स्थिति के अनुसार)		

****